



पत्रांक : 124 -निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / अनु0काई0 / अनापत्ति

दिनांक : 11/01/2010

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा श्री नीरज कुमार काण्डपाल, वरिष्ठ लेखाधिकारी (आन्तरिक सम्प्रेक्षा), ऊर्जा भवन, देहरादून को "Advanced Certificate in Power Distribution Management" कोर्स करने हेतु अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

प्रतिबन्ध होंगे कि उक्त अध्ययन के कारण :-


1. कारपोरेशन कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का ह्रास उत्पन्न न हो तथा कार्यक्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न वह अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा ही करें।
2. यदि ऐसा भासित होगा कि उनके कार्य में शिथिलता आ गयी है या कार्य सम्पादन में ह्रास उत्पन्न हो गया है अथवा उक्त अनुमति देना कारपोरेशन हित में नहीं है तो प्रदान की गयी अनुमति को कारपोरेशन किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर देगा।
3. अनुज्ञा प्राप्त होने के फलस्वरूप आप अपने अवकाश/तैनाती अथवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. उपर्युक्त अनुमति से सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी के लिए किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः कारपोरेशन एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए ही अनुमन्य होगा।
5. किसी बहुवर्षीय पाठ्यक्रम/अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष नवीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. यदि कोई Technical Course उत्तराखण्ड शासन के Technical Board द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होंगे तो इस अनुमति के उपरान्त भी शासन के Technical Board के प्रतिबन्ध लागू रहेंगे।

निदेशक (मानव संसाधन)

पत्रांक : 121 -निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / अनु0काई0 / अनापत्ति तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, निदेशक (मा0सं0), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (आन्तरिक सम्प्रेक्षा), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक/वै0 पंजिका।



(डा0 पी.सी. जोशी)

उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)

